UPRN010034312026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– श्री अजय कुमार सिंह–II, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**–UP01536

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1318/2026

अर्पित गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता, निवासी ग्राम रहीमपुर, करीमपुर, थाना बिल्हौर, कानपुर नगर।

––प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार।

––अभियोजनपक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः– 50/2026

धाराः– 118(2) बी०एन०एस०।

थानाः– बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर।

16–07–2026

प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–50/2026, धारा 118(2) बी०एन०एस०, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा श्री दुर्गेश कुशवहा पुत्र स्व० रामबिहारी द्वारा संबंधित थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर में एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 20–02–2026 को वह अपने मिलने वाले की शादी में सम्मिलित होने के लिये राधा रानी गेस्ट हाउस बरौली रोड बिल्हौर में गया था, तभी वहां 10 बजे वह बताशा पानी वाले खा रहा था। भीड़ में धक्का लग जाने के कारण वहां पर मौजूद अर्पित गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता के ऊपर गिर गया। अर्पित गुप्ता व अन्य तीन लोग (शक्ल सूरत शिनाख्त) में एक राय होकर गाली गलौज करने लगे। वादी मुकदमा द्वारा बार–बार माफी मांगी गयी, लेकिन उक्त समस्त लोग मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। वहां पर मौजूद अन्य लोगों ने मामले को शान्त करवाया। वादी मुकदमा तकरीबन 10:30 बजे पर गेस्ट हाउस से निकला ही था, तभी वहां पहले से मौजूद अर्पित गुप्ता व तीन लोग (शक्ल सूरत शिनाख्त) अचानक से हमला कर दिया व जान से मारने की बात करने लगे, तभी अर्पित गुप्ता ने किसी

धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके दांयी आंख में बहुत ही गम्भीर चोट आयी है। वादी मुकदमा के ऊपर हमला होते ही वह जमींन पर गिर गया, वहां पर मौजूद एक राय होकर समस्त हमलावारी ने उसको मारापीटा, मारपीट की आवाज सुनकर विकास आया तो उसको भी मारा व वादी मुकदमा के भाई विकास के दांये कान में गम्भीर चोट आयी है। तभी वहां पर शादी से लौट रहे राहगिरों को देखकर जान से मार देने की बात करते हुए भाग गये। अतः वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर, कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर संबंधित थाने पर अभियुक्तगण अर्पित गुप्ता व तीन व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–50/2026, धारा 351(3), 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है, जिसमें यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा ने घटना दिनांक 20–02–2026 में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत करते हुए नामित कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने और गिरफ्तारी का डर होने के कारण उसके द्वारा दिनांक 06–05–2026 को न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट संख्या–2 के न्यायालय से अपराध संख्या–50/2026 अन्तर्गत धारा 351(3), 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता पर जमानत देते हुए रिहा किया गया। परन्तु उसके बाद दौरान विवेचना पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु उसके घर दबिश दी गयी, तब उसके द्वारा दिनांक 20–05–2026 को द्वितीय सिविल जज (सी०डि०), कानपुर देहात के न्यायालय में पुनः वांछित आख्या प्रस्तुत की गयी, जिस पर पुलिस द्वारा धरा 118(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी होने की रिपोर्ट दिनांक 01–06–2026 को प्रस्तुत की, जिस पर उसके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उसके बिना पूर्ण जानकारी देते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु उस जमानत को वापस/नाटप्रेस कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में पुलिस द्वारा बार–बार दबिश देकर गिरफ्तारी करने के प्रयास से गिरफ्तारी का भय बना हुआ है और उक्त अपराध बी०एन०एस०एस० की धारा 482 के सबसेक्शन 4 के दिये गये अपराधों में नहीं आता है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई आपराध कारित नहीं किया है तथा उसे इस मामले में रंजिशन फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन देरी से दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपराध संख्या–50/2026 अन्तर्गत धारा 351(3), 352, 115(2) भारतीय न्याय

संहिता में पूर्व जमानत पर है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा धारा 118(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है। वादी मुकदमा का मेडिकल दिनांक 22–02–2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर, कानपुर नगर में कराया गया, जिसमे तीन चोटों का होना व आंख में खून जमा होना नाक के पास खरोंच बताते हुए यू०एच०एम० हास्पिटल, कानपुर नगर के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन हेतु रिफर किया गया। कानपुर अस्पताल में वादी मुकदमा द्वारा स्वंय लिखकर दिया गया कि उसे आगे इलाज अस्पताल में नहीं कराना है। वादी मुकदमा स्वंय अपनी आंख का इलाज कराने से मना करने से यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि उसकी आंख सही है, जिस कारण वह इलाज नहीं कराना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है तथा यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। इन्हीं आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को न केवल मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दी, बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए बेल्ट से हमला किया, जिससे उसकी दांयी आंख में अत्यन्त गम्भीर चोंट आई और उसकी आंख की रोशनी चली गयी तथा बचाने आये उसके भाई विकास को भी मारापीटा, जिससे उसके दांये कान में गम्भीर चोट आयी। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपराध की प्रकृति व प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए, वह अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 20–02–2026 को समय करीब 10:00 बजे वादी मुकदमा राधा रानी गेस्ट हाउस, बरौली रोड बिल्लहौर में बताशा पानी वाले खा रहा था, भीड़ में धक्का लग जाने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त पर गिर गया और प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दी तथा समय करीब 10:30 बजे प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों वादी मुकदमा पर किसी धारदार हथियार से

हमला कर दिया, जिससे उसके दांयी आंख में गम्भीर चोट आयी और वादी मुकदमा का भाई विकास मारपीट की आवाज सुनकर आया तो उसे भी मारापीटा, जिससे उसके दांये कान में गम्भीर चोट आयी। कथित घटना में वादी मुकदमा एवं उसके भाई विकास गम्भीर चोटें होने के कारण उनका मेडिकल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर, कानपुर नगर में हुआ। मजरूब दुर्गेश कुशवाहा की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर तीन चोटें साधारण पायी गयी जो कि हार्ड एवं ब्लण्ट आब्जेक्ट आना प्रतीत होती हैं। मजरूब विकास की मेडिकल के अनुसार उसके शरीर पर एक चोट साधारण पायी गयी, जो कि हार्ड एवं ब्लण्ट आब्जेक्ट आना प्रतीत होती हैं। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा व अन्य गवाहों ने अपने धारा 161 के बयान में घटित अपराध का पूर्ण विवरण देते हुए, अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। कथित घटना में वादी मुकदमा की दांयी आंख में गम्भीर चोंट आयी है और उसकी आंख की रोशनी चली गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अपराध संख्या–50/2026 अन्तर्गत धारा 351(3), 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता में पूर्व जमानत पर है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा धारा 118(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है, जो कि आजीवन कारावास से दण्डित है और प्रार्थी/ अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जाये कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपर्युक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर आरोप है। केस डायरी में उपलब्ध प्रलेख व साक्षियों के बयानों के दृष्टिगत, मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व गम्भीरता पर तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों पर विचार करते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत प्रकट किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता को जमानत पर रिहा करने हेतु उचित आधार विद्वमान नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(अजय कुमार सिंह–II),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–4, कानपुर देहात।
16–07–2026

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 11:13:27 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court